61

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

वित्त समिति की कार्यवृत्ति

वित्त समिति की बैठक दिनांक 19 अगस्त, 2019 को अपराह्न् 4:00 बजे प्रशासनिक भवन कुलपति कार्यालय में आहूत की गयी।

बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित रहेः–

1.	डा0 एस. पी. सिंह	कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0. आर. के. सिंह,	प्रति–कुलपति	सदस्य
3.	श्री श्रवण कुमार सिंह	संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन	सदस्य
4.	श्री मदन राजा मौर्य	संयुक्त निदेशक / अपर निदेशक प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव (वित्त), उ0प्र0 शासन।	सदस्य
5.	श्री वी. पी. कौशल,	कुलसचिव (कार्यवाहक)	सदस्य
6.	प्रो0 ध्रुवसेन सिंह	परीक्षा नियंत्रक	सदस्य
7.	श्री संजय श्रीवास्तव	वित्त अधिकारी	सचिव सदस्य

बिन्दु संख्या–01

वित्त समिति की बैठक दिनांक 28 मार्च, 2019 की कार्यवृत्त एवं अनुपालन आख्या समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिस पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–02

लखनऊ विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत संविदा शिक्षकों की नियुक्ति तथा अभियांत्रिकीय संकाय के अन्तर्गत पूर्व से कार्यरत शिक्षक / शिक्षणेत्तर संविदा कार्मिकों के पारिश्रमिक में बढ़ोत्तरी सम्बन्धी प्रस्ताव जोकि दिनांक 10 जून, 2019 को मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में लिए गये निर्णयों को वित्त समिति के समक्ष विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–03

(क) विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विश्वविद्यालय में स्वावित्तपोषित पाठ्यक्रम मे कार्यरत् शिक्षक / शिक्षणेत्तर कार्मिकों के नियुक्ति / सेवा सम्बन्धी मानकों के निर्धारण हेतु शासन द्वारा निर्गत शासनादेश 214 / 70–4 / 2000–7(7) / 94 दिनांक 04.02.2000 में वर्णित प्राविधानानुसार कार्यवाही किये जाने के स्पष्ट निर्देश के अनुक्रम में शासनादेश में वर्णित प्राविधानों का विश्वविद्यालय मे कड़ाई से पालन करते हुए कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में मा0 कुलपति से प्राप्त निर्देश दिनांक 04.06.2019 को वित्त समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति ने सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

(ख) लखनऊ विश्वविद्यालय में नियत वेतन / वेतनमान आदि पर पूर्व से कार्यरत अनानुमोदित कर्मचारियों के ऐसे प्रकरण जिन्हें सामान्य निधि से भुगतान हो रहें हों, से सम्बन्धित प्रकरण वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। साथ ही समिति को अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण दिनांक 20 अगस्त, 2019 को होने वाली कार्य–परिषद में भी रखा गया है। इस हेतु समिति के सदस्यों द्वारा प्रकरण को कार्य–परिषद में रखे जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

19-8-19

बिन्दु संख्या–04

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के परीक्षा सम्बन्धी कार्यो की पारिश्रमिक दरों का शासनादेश संख्या –176/सत्तर–1–2019–15 (32)/81 दिनांक 09.03.2019 के द्वारा पुनरीक्षण किया गया है। पुनरीक्षित दरों में कुलानुशासक एवं कुलानुशासक मण्डल के सदस्यों हेतु दरो का निर्धारण नही किया गया है कुलानुशासक को केन्द्राध्यक्ष के समतुल्य रू0 145/– प्रतिपाली एवं कुलानुशासक मण्डल के सदस्यों को सहायक केन्द्राध्यक्ष के समतुल्य रू0 130/– प्रतिपाली की मॉग का प्रकरण वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। उड़ाकादलों के लिए दरें प्रतिदिन के स्थान पर प्रतिपाली किये जाने पर भी चर्चा की गयी। सम्यक विचारोपरान्त समिति के द्वारा औचित्यपूर्ण प्रस्ताव तैयार कराकर शासन शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्य बिन्दु

बिन्दु संख्या–1

कुलानुशासक, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के प्रयोगार्थ पुरानी बोलेरो कार पंजीयन संख्या यू.पी. 32 एफ. ए. 1534 को निष्प्रयोज्य घोषित कर एक नया वाहन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति के द्वारा शासनादेश में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत वाहन को निष्प्रयोज्य कराने व नीलामी के उपरान्त उसके स्थान पर संगत शासनादेश के प्राविधानों का अनुपालन करते हुए वाहन क्रय किये जाने की कार्यवाही किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

(श्रवण कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव, उ0शि0
उ0प्र0 शासन।

(मदन राजा मौर्य)
संयुक्त निदेशक/अपर निदेशक
प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव (वित्त),
उ0प्र0 शासन।

(प्रो0 ध्रुवसेन सिंह)
परीक्षा नियंत्रक

(वी. पी. कौशल)
कुलसचिव

(संजय श्रीवास्तव)
वित्त अधिकारी

(प्रो0 आर. के. सिंह)
प्रति–कुलपति

(डा0 एस.पी. सिंह)
कुलपति